जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 11 / डी– 3745 दिनांकः– 6-7-11

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 78वीं बैठक दिनांकः 27.06.11 को दोपहर 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		78:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 77वीं बैठक दिनांक 14.06.11 के कार्यवाही विवरण की पालना की समीक्षा एवं 52वीं से 77वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 77वीं बैठक दिनांक 14.06.11:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 77वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
2.	14	78:2	जविप्रा की आवासीय योजना अभिनव विहार में तलाई, स्कूल, स्कीम बाउण्ड्री से प्रभावित भूखण्डों के स्थान पर समान क्षेत्रफल का विनिमय में भूखण्ड आवंटित किये जाने बाबत।	एजेण्डा नोट के संलग्न परिशिष्ट में वर्णित 68 भूखण्ड धारियों को समान माप के भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
3.	10	78:3	जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमोदित पालड़ी मीणा वॉम्बे आवासीय योजना में आवासीय विद्यालय हेतु 3750 व.मी. भूमि आवंटन के संबंध में।	पालड़ी मीणा वॉम्बे आवासीय योजना के एम ब्लॉक में 3750 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
4.	12	78:4	कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) को ग्राम बसेडी में मटर मण्डी के निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम बसेडी तहसील जयपुर के खसरा नं. 179 व 112 में से 20 बीघा भूमि सचिव महात्मा ज्योतिबाफूले मुख्य मण्डी प्रांगण कृषि उपज मण्डी समिति (फल एवं सब्जी) मुहाना तहसील सांगानेर को मटर मण्डी के निर्माण हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर भू–उपयोग परिवर्तन की प्रत्याशा में आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
5.	13	78:5	श्री रमेश कुमार गोयल पुत्र श्री श्याम लाल गोयल को कल्पना नगर योजना में भूखण्ड एफ–56 के साथ अतिरिक्त भूमि आवंटन हेतु।	भूखण्ड का बढा हुआ क्षेत्रफल 145 वर्गमीटर है। इसे आवेदक को आवंटित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। योजना में समान माप का अन्य कोई कॉर्नर भूखण्ड उपलब्ध हो तो तलाश किया जाकर श्री रमेश कुमार गोयल को देने पर विचार किया जावे।
6.	6	78:6	अधीक्षण अभियन्ता (जयपुर नगर वृत) जयपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर की 33/11 केवी विधुत स्टेशन के निर्माण के लिये भूमि आवंटन बाबत।	मुरलीपुरा स्कीम में 1009.68 वर्गमीटर भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208)नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।

7.	2	78:7	श्रीमती कृष्णा धोबी पुत्री श्री राधेश्याम धोबी को निर्मित क्वार्टर सं. 8/27, स्वर्ण जयन्ती पार्क के पास, विधाधरनगर, जयपुर के आवंटन बाबत।	पूर्ण सूचना के अभाव में अगली बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।
8.	14	78:8	रोहिणी नगर द्वितीय आवासीय योजना के आवंटित 7 भूखण्डों के सामने रोड के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अन्य रिक्त भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	संलग्न सूची में वर्णितानुसार 7 भूखण्डों के स्थान पर समान चौडाई की सड़क पर समान माप के भूखण्ड विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
9.	11	78:9	वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को राजस्थान राज्य कर अकादमी की स्थापना हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	प्रस्तावानुसार ग्राम खटवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1104 में से 10 बीघा भूमि राजस्थान राज्य कर अकादमी की स्थापना हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
10.	1	78:10	श्री हरिश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कुलवन्त राय गुप्ता, भू.सं. ए–669, मालवीय नगर, जयपुर के बढ़े हुए क्षेत्रफल (भू–पट्टी) 8.88 व.ग. का आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त प्रकरण का मौका देखकर पूर्ण तथ्यों के साथ मय नजरी नक्शा आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
11.	1	78:11	श्री रोहिताश सिंह पुत्र श्री जवाना राम, भूखण्ड सं. बी–4, मालवीय नगर बढ़े हुए क्षेत्रफल (भू–पट्टी) 23.75 व.ग. आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त प्रकरण का मौका देखकर पूर्ण तथ्यों के साथ मय नजरी नक्शा आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
12.	1	78:12	श्री कल्याण प्रसाद मीना पुत्र श्री जय नारायण मीना, प्लाट नं. ए–348, मालवीय नगर को मूलरूप से आवंटित क्षेत्रफल से बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 2.64 व.ग. आवंटन के संबंध मे।	उपायुक्त प्रकरण का मौका देखकर पूर्ण तथ्यों के साथ मय नजरी नक्शा आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
13.	1	78:13	श्री झामन दास पुत्र श्री खूबचन्द गंगलानी, भू.सं. डी–20, मालवीय नगर, जयपुर के बढ़े हुए क्षेत्रफल (भू–पट्टी) 21.40 व.ग. आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त प्रकरण का मौका देखकर पूर्ण तथ्यों के साथ मय नजरी नक्शा आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
14.	2	78:14	श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री भंवरीलाल शर्मा भूखण्ड सं. 7ए–19, विधाधरनगर के विनिमय में भूखण्ड सं. 4/388, विधाधरनगर आवंटन बाबत।	शासन उप सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक प–3(769)नविवि/3/2010 दिनांक 27.12.10 के अनुसार प्रार्थिया को पूर्व आवंटित भूखण्ड सं. 7ए–19 के स्थान पर भूखण्ड सं. 4/388, क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर विधाधरनगर आवंटित करने की शासकीय अनुमति प्रदान करने पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
15.	14	78:15	जविप्रा की आवासीय योजना पार्थ नगर के भूखण्ड सं. सी–538 के स्थान पर पार्थ नगर योजना में ही समान क्षेत्रफल का भूखण्ड सं. ए–293 विनिमय करने बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 73वीं बैठक दिनांक 27.02.11 के निर्णयानुसार लॉटरी से भूखण्ड सं. सी–538 के स्थान पर भूखण्ड सं. ए–294 का आवंटन उपायुक्त द्वारा किया गया था, को निरस्त करते हुए भूखण्ड सं. सी–538 के स्थान पर भूखण्ड सं. ए–293 क्षेत्रफल 54 वर्गमीटर आवंटन का निर्णय लिया गया।

प्रति० आयुक्त ... जयपुर विकास प्राधिकरण

16.	13	78:16	ग्राम बस्सी, तहसील–बस्सी, जिला–जयपुर के खसरा नं. 1255 रकबा 2.05 हैक्टे. 1265 रकबा 3.18 हैक्टे. कुल रकबा 5.23 हैक्टेयर भूमि रीको के पक्ष में आवंटन करने बाबत।	प्रस्तावानुसार 5.23 है0 भूमि रीको को संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
17.	11	78:17	सांगानेर कपडा रंगाई छपाई ऐसोसियेशन को सीईटीपी प्लांट निर्माण हेतु ग्राम मदरामपुरा के खसरा नं. 37 में से 1.5 बीघा भूमि आवंटन हेतु।	ग्राम मदरामपुरा के खसरा नं. 37 में से 1.5 बीघा भूमि की किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है। जिसे आवंटित करना जविप्रा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः उक्त भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
18.	12	78:18	भांकरोटा विकास प्रबन्ध समिति बनाम सरकार प्रकरण में राजकीय उच्च प्राथमीक विद्यालय को खेल के मैदान हेतु खसरा नं. 840 ग्राम भांकरोटा में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 370/2868 व 370/2790 कुल 1.01 है0 भूमि आवंटित थी। उक्त भूमि पर नगर निगम द्वारा बॉम्बे योजना के अन्तर्गत कच्ची बस्ती पुर्नवासित किये जाने के कारण भांकरोटा विकास प्रबंध समिति द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पीआईएल दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.02.09 की पालना में विद्यालय को खेल के मैदान हेतु पूर्व में आवंटित भूमि के बराबर भूमि दी जानी है। विद्यालय के आस–पास जविप्रा स्वामित्व की 1.01 है0 भूमि उपलब्ध नहीं है। ग्राम भांकरोटा के खसरा नं. 840 में से 5000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन जविप्रा की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 35वीं बैठक दिनांक 31.01.07 को आयुर्वेदिक विभाग को पंचकर्म चिकित्सा केन्द्र हेतु आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। आयुर्वेदिक विभाग को राज्य सरकार से भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण आदिनांक आवंटन पत्र व कब्जा पत्र नहीं दिया गया है। अतः उक्त भूमि का आयुर्वेद विभाग को किया गया आवंटन निरस्त करने के पश्चात् राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भांकरोटा को आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। आयुर्वेद विभाग का आवंटन निरस्त होने की स्थिति में वैकल्पिक भूमि चिन्हित कर आवंटन की कार्यवाही की जावे।
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–				
19.		78:18(1)	राजस्थान आवासन मण्डल को जविप्रा में शामिल नवीन ग्रामों की राजकीय भूमि में से 20 प्रतिशत भूमि देने बाबत।	संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय) द्वारा प्रस्तुत पत्रादि के अवलोकन पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान आवासन मण्डल को दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि की डीएलसी व आरक्षित दर पर कीमत की गणना कराई जावे एवं प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाये जावे।
20.	6	78:18(2)	ईस्लामी कमेटी मुरलीपुरा को मस्जिद हेतु भूमि आवंटन बाबत।	अध्यक्ष ईस्लामी कमेटी मुरलीपुरा स्कीम जयपुर द्वारा मुरलीपुरा सुविधा क्षेत्र में 2596.66 वर्गगज भूमि मस्जिद हेतु आवंटन चाहा है। जिला कलेक्टर जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 10.05.88 द्वारा लिखा कि मुरलीपुरा स्कीम में मस्जिद निर्माण हेतु भूमि आवंटन की जाती है तो कलक्टर कार्यालय को आपत्ति नहीं है। चूकि अनापत्ति 23 वर्ष पुरानी है अतः जिला कलक्टर, जयपुर से राजस्व ग्रुप–6 विभाग के आदेश 9(5)राज–6/2010/7 दिनांक 08.09.10 के बिन्दु सं. 2 में वर्णित "अनाधिकृत निर्माण के कारण न तो सार्वजनिक आवागमन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और न ही स्थानीय निवासियों को कोई असुविधा हो रही है" के बाबत जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण किया जाकर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र मांगा जावे। प्रस्तावित

उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				भूखण्ड पूर्व में पी.एच.सी. के लिये आरक्षित था, जिसे बाद में पब्लिक फैसेलिटी में परिवर्तित कर दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक स्थलो के अनाधिकृत निर्माणों के संदर्भ में राजस्व ग्रुप–6 के आदेश क्रमांक 9(5)राज–6/2010/7 दिनांक 08.09.10 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण को अन्य प्रयोजन हेतु पूर्व से आरक्षित भूमि को धार्मिक स्थलों हेतु आवंटन का अधिकार नहीं है। प्रश्नगत भूमि आवंटित की जाने की स्थिति में वक्फ बोर्ड से यह जानकारी की जावे कि आवंटन किस संस्था को किया जाना उचित होगा। राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर के पंजीयन क्रमांक 802/2001 दिनांक 03.02.01 से इस्लामियाँ तालीमुल कुरआन जामा मस्जिद मुरलीपुरा के नाम से पंजीयन है जबकि आवेदन ईस्लामी कमेटी द्वारा किया गया है। अतः इस संबंध में वक्फ बोर्ड से स्थिति स्पष्ट कराया जाना आवश्यक है। उक्त बिन्दुओं की पूर्ति होने पर आवंटन वक्फ बोर्ड को अथवा उनके द्वारा नियुक्त संचालन करने वाली कमेटी को किया जाने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

आयुक्त महोदय ने जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि० को भूखण्ड सं. 21 व 29 ट्रक टर्मिनल अजमेर रोड आरक्षित करने के निर्देश दिये गये साथ ही अहमदावाद मॉडल पर BOT आधार पर निदेशक परियोजना को नोडल अधिकारी बनाया जाकर निर्देशित किया जावे कि वे अन्य शहरों के प्रोजेक्ट का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करे। जयपुर विधुत वितरण निगम लि० व राजस्थान विधुत प्रसारण निगम लि० के लम्बित आवंटन प्रस्तावों के संबंध में अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) विभाग के नोडल अधिकारी को बुलाकर आवश्यकतानुसार भूमि चिन्हिकरण करवाये। निजी विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों को भूमि आवंटन के लिये AICTE व UGC के नोर्मस के आधार पर गाईड लाईन तैयार की जावे, ताकि संस्थाओं को उन नोर्मस के आधार पर भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे। भूमि आवंटन में भूमि की कीमत व उपलब्धता में कमी को देखते हुए संस्थाओं को Vertical निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
प्रति० आयुक्त
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभि०/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
16. जन सम्पर्क अधिकारी. जविप्रा, जयपुर
17. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
प्रति० आयुक्त
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 78वी बैठक दिनांक 27.06.11 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री कुलदीप रांका, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री लोकनाथ सोनी, सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री आर.के. पारीक, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
7.	श्री गिरिराज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय)	सदस्य
8.	श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री राजेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
~~10.~~	~~श्री गिरीश पाराशर, उपायुक्त जोन–2~~	~~विशेष आमंत्रित~~
11.	श्री अनिल जैन, उपायुक्त जोन–6 व 11	विशेष आमंत्रित
12.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–7 व 8	विशेष आमंत्रित
13.	श्री औंकारमल सैनी, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
14.	प्रीति माथुर, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
15.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
16.	श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
17.	श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित